



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 8053/2024

सुरेश यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: राजेश यादव, सीताराम यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश यादव और राज्य-प्रत्यर्थी(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. चूंकि पक्षकारों के बीच प्रति-शपथ पत्र और प्रत्युत्तर-शपथ पत्र का आदान-प्रदान हो चुका है और पक्षकार कोई अन्य शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, अतः पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका को नए स्तर पर ही निर्णीत किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें चयन प्रक्रिया का सामना करने के बाद 05.09.1987 को प्रारंभ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को नियमितीकरण प्रदान कर दिया गया था, लेकिन रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 10327/2005 के साथ रिट-ए संख्या 15694/2003 दाखिल की, जिसे 20.09.2013 को निस्तारित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित आदेश दिए गए थे:

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

रिट याचिका संख्या 15694/2003 और 10327/2005 दोनों सुरेश यादव द्वारा विज्ञापन दिनांक 5.9.2002 और 14.1.2005 को चुनौती देने और याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित करने के लिए परमादेश जारी करने हेतु प्रस्तुत की गई हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 5.9.1987 से लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में दैनिक वेतन भोगी के आधार पर कार्य कर रहा है। वे व्यक्ति, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, यथा राम करन यादव, मान सिंह, मुन्नर यादव और विजय प्रताप सिंह को नियमित कर दिया गया है। विजय प्रताप सिंह द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी और रिट याचिका संख्या 40366/2002 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.9.2002 के अनुपालन में उन्हें आदेश दिनांक 12.12.2002 द्वारा 2550/- से 3200/-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया गया था, हालांकि, अभी तक याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है, इसलिए उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए निर्देश जारी किया जाए।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के नियमितीकरण पर उत्तर प्रदेश दैनिक वेतन भोगी समूह 'घ' पदों पर नियुक्ति का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 के तहत मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध विचार किया जाना है और चूंकि कोई मौजूदा रिक्ति नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सका।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया। यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता 1987 से दैनिक वेतन भोगी के आधार पर कार्य कर रहा था। याचिकाकर्ता के दावे पर उत्तर प्रदेश विनियमितीकरण नियमावली, 2001 के तहत नियमितीकरण के लिए विचार किया जाना चाहिए था। जो व्यक्ति याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, उनकी सेवाएँ पहले ही नियमित की जा चुकी हैं और विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर रिट याचिका में निर्देश के बाद उनकी नियमित नियुक्ति के लिए आदेश पारित किया गया था। अतः तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यदि याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित नहीं किया गया है, तो प्रत्यर्थियों का कृत्य मनमाना, अवैध और न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के उल्लंघन के खिलाफ है। इसलिए प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमावली, 2001 और आगामी शासनादेशों के आलोक में याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के छह सप्ताह के भीतर विचार करें।

इन टिप्पणियों के साथ, दोनों रिट याचिकाएं अंततः निस्तारित की जाती हैं। अंतरिम आदेश समाप्त किया जाता है।”

4. तत्पश्चात् रिट याचिकाकर्ता के अनुसार 28.05.2014 को रिट याचिकाकर्ता को नियमितीकरण प्रदान किया गया, हालांकि, उस तिथि से नियमितीकरण के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया जिस तिथि से कनिष्ठों को लाभ दिया गया था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट ए संख्या 1294/2020 दाखिल की जो 12.01.2024 को निस्तारित हुई, जिसमें निम्नलिखित आदेश दिए गए थे:

“1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-

(I) प्रत्यर्थियों/संबंधित प्राधिकारी, विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को 12.12.2002 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(II) प्रत्यर्थियों को निर्देशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें कि वे इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कानून के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज के साथ 12.12.2002 से बकाया और अन्य परिणामी लाभों का भुगतान करें।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2014 में ही प्रश्नगत पद पर नियमित कर दिया गया है और यदि वह चाहते हैं कि उनकी प्रोन्नति 12.12.2002 से हो, तो उन्हें संबंधित प्रत्यर्थी से संपर्क करना चाहिए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही अधिकारियों के समक्ष प्रत्यावेदन दिया है लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को याचिकाकर्ता को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित प्रत्यर्थी के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को व्यक्त करते हुए नया प्रत्यावेदन दाखिल करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा प्रत्यावेदन दाखिल किया जाता है, तो संबंधित प्रत्यर्थी उक्त प्रत्यावेदन पर यथाशीघ्र और अधिमानतः उसके तीन महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे।"

5. तत्पश्चात अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.04.2024 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसमें रिट याचिकाकर्ता के दावे को नकार दिया गया है।

6. इसी को चुनौती देते हुए रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से भी कायम नहीं रखा जा सकता कि आक्षेपित आदेश रिट याचिकाकर्ता के दावे के उस पहलू पर विचार नहीं करता है जो उस तिथि से नियमितीकरण से संबंधित है जिस तिथि से कनिष्ठों को लाभ दिया गया है। उनका तर्क है कि उक्त पहलू जो मामले की जड़ से जुड़ा है, उसे बिना गहराई में जाए नकार दिया गया है।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका के पैरा-6 में निहित कथनों के आधार पर आदेश का समर्थन किया है। हालांकि, उनके अनुसार, प्रश्नगत आदेश में रिट याचिकाकर्ता के दावे को नकारने के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताए गए हैं।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

10. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता ने उस तिथि से नियमितीकरण का दावा किया था जिस तिथि से कनिष्ठों को लाभ प्रदान किया गया है। रिट-ए संख्या 10327/2005 के साथ रिट-ए संख्या 15694/2003 दाखिल की गई थी जिसे रिट

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर उस तिथि से विचार करने के लिए निस्तारित किया गया था जिस तिथि से कनिष्ठों को लाभ दिया गया है। तत्पश्चात् रिट याचिकाकर्ता को 28.05.2014 को नियमितीकरण प्रदान किया गया लेकिन कनिष्ठों वाली तिथि से नहीं, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट ए संख्या 1294/2020 दाखिल की जो 12.01.2024 को निस्तारित हुई जिसमें प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने की आवश्यकता थी और उसके बाद अब दिनांक 19.04.2024 का आदेश पारित किया गया है। दिनांक 19.04.2024 का आदेश निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"प्रत्यावेदन निस्तारण

श्री सुरेश यादव पुत्र राम शकल यादव

ग्राम लखमनपुर पट्टी बदल राय,

पोस्ट-नसीरुद्दीनपुर,

तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-12/01/2024 (याचिका संख्या-A-1294/2020) के अनुपालन एवं याची के प्रत्यावेदन दिनांक-25/01/2024 जो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 27/01/2024 को प्राप्त हुआ, के क्रम में आपको अवगत कराया जा रहा है कि इसके पूर्व आपने एक अन्य याचिका संख्या-A-15694/2003 with 10327/2005 (सुरेश यादव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20/09/2013 का अनुपालन करते हुए याची को दिनांक-28/05/2014 से विनियमित किया जा चुका है। जिसके प्रमुख अंश इस प्रकार हैं:

"मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 15694/2003, 10327/2005 श्री सुरेश यादव बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-9-2013 में दिये गये निर्देश के परिपालन में, निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 4 डी (1)/टी०सी०/172/2013/1354 दिनांक 10 मार्च 2014 में दिये गये निर्देश एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परामर्श दिनांक 26 मार्च 2014 के अनुपालन में श्री सुरेश यादव पुत्र स्व० रामशकल यादव, ग्राम लखमनपुर पोस्ट नसीरुद्दीनपुर तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़ को प्रा०स्वा० केन्द्र पल्हनी आजमगढ़ में रिक्त एच०वी० प्यून के पद पर वेतन वैण्ड रु० 5200-20200 (ग्रेड वेतन रु० 1800) में दिनांक 23-5-2014 से विनियमित किया जाता है। ये अपने योगदान की सूचना निम्न अभिलेखों के साथ प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा०स्वा० केन्द्र पल्हनी आजमगढ़ को प्रस्तुत करेंगे।"

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20/09/2013 के अनुपालन में याची का नियमानुसार 2014 में रिक्त पद के सापेक्ष विनियमित किया जा चुका है। पुनः याची का विनियमितीकरण नियमानुसार उसके पूर्व से किया जाना संभव नहीं है एवं याची का विनियमितीकरण 2005 के पश्चात् होने के कारण पेंशन का लाभ व अन्य पेंशनरी लाभ देय नहीं है। इसी तथ्य के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक-25/01/2024 को निस्तारित किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।"

11. आक्षेपित आदेश के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि यह उस पहलू से संबंधित है जो रिट याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्यावेदन में उठाया है और जो पिछले दो अवसरों पर मुकदमेबाजी का विषय रहा था। चूंकि उक्त पहलू की आसानी से अनदेखी की गई है, अतः आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।
12. तदनुसार, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
 - (क). मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.04.2024 को रद्द किया जाता है।
 - (ख). आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेजा जाता है।
13. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"